आराजी है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को हरे रंग से, अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे काश्त आराजी को लाल एवं अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे काश्त की आराजी को आसमानी रंग से दर्शाया गया है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दर्शाए भाग के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में तरमीम करते समय प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौके पर पक्षकारान् का कब्जा काश्त के विपरित व बिना प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकारोक्ति से गलत तरमीम कर ऑनलाईन करते समय रोंग एन्ट्री कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया गया जिसे प्रार्थी मौके पर पक्षकारान् काबिज है व नजरी नक्शे अनुसार उक्त लेखकिय व सदभाविक भूल को दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती हेतु श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त कर नये सिरे से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कर मौके की स्थिति एवं नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम की जावे।

2. तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम जैतारण में खसरा नम्बर 863/3 रकबा 0.5666 हैक्टेयर की भूमि वादीगण की है एवं खसरा नम्बर 863/2 व खसरा नम्बर 863/4 प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खसरा नम्बर 863 में आंवटन सुदा भूमि है। उक्त खसरा नम्बर का तरमीम कार्य DIRLMP के दौरान हुआ है। मौके पर कब्जे एवं संलग्न फर्द मौका के अनुसार तथ्य सही है तथा संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट वादी एवं प्रतिवादी की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करनें एवं 863/2, 863/3 व 863/4 की स्थिति दर्शाई गयी है।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 863/3 प्रार्थी की तथा खसरा नम्बर 863/2 अप्रार्थी संख्या एक एवं खसरा नम्बर 863/4 अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे काश्त की आराजी है जिनके भू राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में तरमीम करते समय खसरा संख्या 863/2, 863/3 व 863/4 को राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिया गया। तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खसरान की मौका स्थिति एवं ऑनलाईन नक्शे की स्थिति में भिन्नता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र के भली भांति साबित होने होने से सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण के खसरा नम्बर 863/2, 863/3 व 863/4 के भू राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए उक्त खसरान की आराजी का नये सिरे से तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी के अनुसार नाप चौप कर तरमीम करवाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 863/2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863/3 रकबा 0.5666 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 863/4 रकबा 0.7284 हैक्टेयर की राजस्व भू नक्शा ट्रैस में विद्यमान त्रुटिपुर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए पुनः नये सिरे से तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी, मौके स्थिति एवं भू नक्शे मौके अनुसार नाप चौप कर सीमाज्ञान करते हुए तरमीम की जावें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 10/03/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)